आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त न्यायालय, राँची

विविध वाद सं०--07 / 2016--17

रूद्र प्रतात सिह मुण्डा — आवेदक

--बनाम--

राज्य एवं मेसर्स जे०एस०डब्ल्यु झारखण्ड स्टील लि० वग :— विपक्षी

24
4·2·18

आवेदक (1) रूद्र प्रताप सिह मुण्डास्व० गजाधर मुण्डा जाति-- मुण्डा अनुसुचित जनजाति निवासी--पण्डाडीह, थाना--सोनाहातु जिला--राँची ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में 1908 के धारा 241 के के तहत मेसर्स जे० एस डब्ल्यु झारखण्ड स्टील लि० वगै० द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री रामनाथ चौबे पिता-- स्व० एस० एन० चौबे एवं राजीव कुमार गुप्ता, पिता--स्व० श्री चन्द्र गुप्ता एवं नवीन कुमार ओझा पिता--स्व०शैलेन्द्र कुमार ओझा एवं श्री वसवराज दलगडे पित-- स्व० महादेवप्पा दलगडे पी--236, भूतल, रोड नं०--03, अशोकनगर, जिला--राँची के साथ

ग्राम	थाना सं०	खेवट सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़)
~~बारेन्दा~~ पंडाडीह	18	10	156	111	0.08
				333	1.11
			157	54	1.86
			158	37	1.18
			159	36	0.45
			160	243	0.23
				245	1.20
			161	236	0.45
			163	23	2.86
			कुल रकबा		5.71एकड़

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	भूमि बिक्री करने की अनुमति के लिय आवेदन पत्र दिया है, इसी के आधार पर इस विविध वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन पत्र की जाँच भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू से कराई गई। प्रस्तुत मामले में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू, राँची ने पत्रांक 31/रा0 दिनाक 11.01.2018 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया प्राप्त जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि खतियान में विभिन्न रैयतों के नाम पर कायमी दर्ज है।खतियान में लगान पाने वाला खेवट नं0--10 दर्ज है। खेवटदार को भूमि खेवट सं0--03 के जमीन्दार हिकिम सिंह मुण्डा से प्राप्त था । खेवट सं0--03 में किस्म मुण्डारी खुटकट्टी दर्ज है। आवेदकगण खेवट सं0--03 के उतराधिकारी के हैसियत से भूमि बिक्री का आवेदन दिये हैं। सलग्न शपथ पत्र सं0--19172 दिनांक 11.05.2016 के कंडिका 04 में वर्णित है कि भूमि मुण्डारी खुटकट्टी (बिक्रेता) के दखल कब्जे में है, जबकि भौतिक सत्यापन में दखल कब्जा खतियानी रैयत का है। भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मुण्डारी खुँटकट्टी के जमींदार द्वारा लिखित आपत्ति दी है कि--कम्पनी द्वारा रैयतों को 90 प्रतिशत एवं जमींदार को 10 प्रतिशत दिया जाता है और रैयत को अपना जमीन का हक नहीं बनाकर जमींन्दार को सर्वे सर्वा बनाया जाता गया है। कम्पनी भूमि को क्रय बिक्रय के क्रम में परमिशन एवं रजिस्ट्री पट्टा में खतियानी रैयत के वशजों को पक्षकार नही बनया जा रहा है, जबकि भमि का दखल उन्ही के पास निहित है साथ ही जमीन का कुल मुल्य 90 प्रतिशत राशि रैयतों को दिया जाता रहा है। कम्पनी द्वारा अभी तक लगभग हजरों एकड़ जमीन क्रय की गई है, परन्तु भूमि पर किसी का दखल नही लिया गया है और नहीं जनहित के	

क्रम संख्या और तारीख		गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	दृष्टिकोण से क्रय भूमि पर किसी तरह का निर्माण किया गया है। कम्पनी द्वारा दस वर्ष पूर्व निधारित दर पर ही क्रय किया जा रहा है, लेकिन कम्पनी द्वारा पुराने दर ही भूगतान किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुये नये नये दर पर क्रय करना चाहिए। मुण्डारी खुँटकट्टी जमींदार पराम्परा के अनुसार वंश में बडा होता है वह स्वत जमींददार (मालिक) बनता है। भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा छो० का०अधि० की धारा 241 के तहत प्रस्तुत भूमि बिक्री अनुमति वाद सं० को खारिज करने की अनुशंसा की है। अतः भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू से प्रतिवेदन द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आवेदकगण द्वारा छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। — उपायुक्त, राँची उपायुक्त, राँची	आदेश की प्रति L.R.D.C Bundu को प्रेषित। पत्रांक 259(ii) दिनांक 15.2.18 15.2.18